2009: छ.ग.उ.न्या.:10958

ए.एफ.आर.

प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर

दाण्डिक अपील क्र.1150/1993

एकल पीठ: माननीय न्यायमूर्ति श्री आर.एल.झांवर

अपीलार्थी: महेंद्र कुमार

विरुद्ध

प्रत्यर्थी : मध्य प्रदेश राज्य (वर्तमान छ.ग.)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

निर्णय

निर्णय कि घोषणा घोषणा हेतु सूचीबद्ध किया जाए

3.12.2009
हस्त/
आर.एल.झांवर
न्यायधीश
3.12. 2009

2009: छ.ग.उ.न्या.:10958

ए.एफ.आर.

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर

दाण्डिक अपील क्र.1150/1993

एकल पीठ: माननीय न्यायमूर्ति श्री आर.एल.झांवर

अपीलार्थी: महेंद्र कुमार, उम्र लगभग 22 साल, पिता- बिसोहा राम साहू , साकिन -ग्राम दुन्देरा, पुलिस थाना- अर्जुन्दा द्वारा,जिला- दुर्ग(म.प्र.) (वर्तमान छ.ग.)

विरुद्ध

प्रत्यर्थी : मध्य प्रदेश राज्य (वर्तमान छ.ग.) द्वारा पुलिस थाना-अर्जुन्दा द्वारा, जिला- दुर्ग

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उपस्थित –

श्री एच.बी.अग्रवाल,वरिष्ट अधिवक्ता सहित श्रीमती मीरा जयसवाल अधिवक्ता अपीलार्थी की ओर से.

श्री सतीश गुप्ता, शासकीय अधिवक्ता राज्य की ओर से अधिवक्ता।

निर्णय

(3.12.2009 को निर्धारित किया गया)

1. यह दांडिक अपील, दोषसिद्धि के निर्णय और दंडादेश दिनांक 20.11.1993, जो विशेष प्रकरण संख्या 33/92 में पारित किया गया, के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है, जिसमे विद्वान विशेष न्यायाधीश, दुर्ग ने अपीलार्थी को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (आगे '1989 का अधिनियम') की धारा 3 (1) (xi) के अधीन दोषसिद्ध किया है और उसे 18 माह के सूक्ष्म कारावास को भुगतने और 1000/- रुपये का जुर्माना अदा करने के लिए दंडादिष्ट किया है, तथा जुर्माना अदा करने में व्यतिक्रम किये 4 माह के अतिरिक्त सूक्ष्म कारावास भुगतना होगा।

2. संक्षिप्त तथ्य यह है कि दिनांक 30.3.1992 को, अभियोक्त्री- परमिला बाई ने पुलिस थाना-आरजुन्दा में एक लिखित शिकायत दर्ज करायी कि दिनांक 28.3.1992 को, रात्रि में लगभग 9 बजे, अपीलार्थी- महेंद्र कुमार ने हमला किया और कोटवारिन के घर के पास उसकी लज्जा भंग करने का प्रयास किया, जब वह अपनी

चाची- अगासिया बाई के साथ टेलीविजन में फ़िल्म देखने के बाद अपने घर लौट रही थी। अभियोक्त्री की शिकायत के आधार पर, पुलिस थाना, आरजुन्दा द्वारा अपीलार्थी के विरुद्ध अधिनियम की धारा 3 (1) (xi) और भा॰द॰वि॰ की धारा 354 के तहत दंडनीय अपराध के लिए प्रथम सूचना पत्र प्रदर्श पी/1 पंजीबद्ध किया गया।

3. अपीलार्थी के विरुद्ध आरोप यह है कि उसने अभियोक्त्री का हाथ पकड़ा और उससे कहा "चलो वहां ले जाएंगे", जिस पर, अभियोक्त्री ने अपनी चाची को पुकारा। उसकी चाची ने भी अपीलार्थी को गालियां दीं और वह भाग गया। तत्पश्चात, अभियोक्त्री अपने घर आई और अपनी माँ-कुंती को घटना सुनाई।

4. प्रथम सूचना प्रतिवेदन प्रदर्श पी/1 के आधार पर, पुलिस ने अन्वेषण प्रारंभ किया। साक्षियों के कथन दं॰प्र॰सं॰ की धारा 161 के अधीन अभिलिखित किये गये और विशेष न्यायाधीश, दुर्ग के समक्ष अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया।

5. विशेष न्यायाधीश, दुर्ग ने अपीलार्थी के विरुद्ध अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3 (1) (xi) के अधीन आरोप विरचित किया और उसे पढ़कर सुनाया और समझाया, जिसने अपराध किये जाने से इनकार किया और कहा कि वह निर्दोष है और उसे मामले में झूठा फंसाया गया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6. विद्वान विशेष न्यायाधीश ने साक्ष्य का मूल्यांकन करने और संबंधित पक्षकारों के अधिवक्ता को सुनने के पश्चात अपीलार्थी को सुनने के पश्चात अपीलार्थ को दोषसिद्ध करने अनुसार दंडादिष्ट किया।

7. श्री एच.बी. अग्रवाल, अपीलार्थी के लिए विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने तर्क दिया कि दोषसिद्धि और दंडादेश अवैध है क्योंकि संपूर्ण विचारण दूषित हो गया था क्योंकि विद्वान विशेष न्यायाधीश ने बिना किसी अर्पण कार्यवाही के सीधे संज्ञान लिया। इस तर्क के समर्थन में, उन्होंने **गंगूला अशोक और अन्य बनाम आंध्र प्रदेश राज्य (2000) 2 एससीसी 504; एआईआर 2000 एससी 740** का अवलेख किया। आक्षेप का दूसरा आधार यह है कि विद्वान विशेष न्यायाधीश द्वारा पारित दोषसिद्धि और दंडादेश उचित नहीं है क्योंकि उन्होंने अभिलेख पर उपलब्ध साक्षियों के साक्ष्य का उचित मूल्यांकन नहीं किया था, और इसलिए, दोषसिद्ध.हेतु कोई आधार नहीं है। अंततः, उन्होंने तर्क किया कि अपीलार्थी प्रथम अपराधी है, और इसलिए, यदि न्यायालय अपीलार्थी को दोषी पाता है तो विचारण न्यायालय द्वारा अधिनिर्णीत 18 माह के दंडादेश को कम करके एक उदार दृष्टिकोण अपनाया जाए। इन आधारों पर, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने प्रार्थना की कि अपीलार्थी को रिहा कर दिया जाए।

8. इसके विपरीत ओर, श्री सतीश गुप्ता, विद्वान शासकीय अधिवक्ता ने विशेष न्यायाधीश द्वारा घोषित निर्णय का समर्थन किया और तर्क किया कि अपीलार्थी की दोषसिद्धि और दंडादेश में किसी हस्तक्षेप की आव्यशक्ता नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सभी तथ्यों पर स्पष्ट रूप से विचार करती है और अभियोजन ने अपने मामले को संदेह से परे पूर्णतः साबित कर दिया है, इसलिए दोषसिद्धि और दंडादेश उचित है। जहां तक सुपुर्दगी कार्यवाही का संबंध है, उन्होंने इस न्यायालय का ध्यान दंड प्रक्रिया संहिता (संक्षेप में 'संहिता') की धारा 465 की ओर आकर्षित किया जो संहिता के अध्याय XXXV के अंतर्गत 'अनियमित कार्यवाहियां' शीर्षक के अधीन आती है जिसमें यह उपबंधित है कि सक्षम

अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा पारित निष्कर्ष, दंडादेश या आदेश को केवल अनियमितताओं के आधार पर अपास्त नहीं किया जा सकता है यदि अभियुक्त पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है। उन्होंने **मध्य प्रदेश राज्य बनाम भूराजी और अन्य, 2001 क्री.ला.ज 4228 (एस सी)** और **कर्नाटक राज्य बनाम कुप्पुस्वामी गौंडर, ए.आर.आर 1987 एस .सी.1354** के मामले का भी अवलंब लिया।

9. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता को सुना और अभिलेख का परिशीलन किया।

10. वर्तमान मामले में, अभियोग पत्र दिनांक 30.04.1992 को प्रस्तुत किया गया था और निर्णय दिनांक 20.11.1993 को घोषित किया गया था। संहिता और 1989 के अधिनियम के अनुसार, ऐसा कोई उपबंध नहीं है जो विशेष सत्र न्यायालय को 1989 के अधिनियम के तहत दंडनीय किसी भी अपराध का संज्ञान आरंभिक अधिकारिता के न्यायालय के रूप में करने के लिए सशक्त करती है, जब तक कि मजिस्ट्रेट मामले को अर्पित न कर दे। इस संबंध में आरंभिक अधिकारिता केवल मजिस्ट्रेट में निहित है। यह भी निवेदन है कि संहिता की धारा 209, जब अपराध अनन्यतः सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय हो, तो मामले को सत्र न्यायालय को अर्पण से संबंधित है। **गंगूला अशोक** (पूर्वोक्त) में, निःसंदेह सर्वोच्च न्यायालय के माननीय न्यायधिपतिगण ने यह अभिनिर्धारित किया है कि न तो संहिता में और न ही 1989 के अधिनियम में ऐसा कोई उपबंध है कि विनिर्दिष्ट सत्र न्यायालय (विशेष न्यायालय) 1989 के अधिनियम के तहत अपराधों का संज्ञान आरंभिक अधिकारिता के न्यायालय के रूप में, बिना मजिस्ट्रेट द्वारा मामला सुपुर्द किए, ले सकता है। तथापि, **स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश बनाम भूराजी** (पूर्वोक्त) के मामले में एक पश्चात्वर्ती विनिश्चय में **गंगूला अशोक** (पूर्वोक्त) और अन्य विनिश्चयों पर विचार करने के पश्चात; सर्वोच्च न्यायालय के माननीय न्यायधिपतिगण ने राज्य की अपील अनुज्ञात की और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की युगलपीठ द्वारा आदेशित पुनः विचारण का आदेश अपास्त कर दिया और मामले को विधि के अनुसार गुणागुण पर विनिश्चय के लिए प्रतिप्रेषित कर दिया। शीर्ष न्यायालय के माननीय न्यायधिपतिगण ने राज्य की अपील को अनुज्ञात करते हुए यह अभिनिर्धारित किया कि **आनंद स्वरूप तिवारी बनाम राम रतन जाटव, 1996 एमपीएलजे (एफबी) 141** में सम्प्रकाशित मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के पूर्ण न्यायपीठ के विनिश्चय द्वारा प्रतिपठित विधिक सिद्धांत में परिवर्तन के दृष्टिकोण से किसी भी मजिस्ट्रेट के समक्ष किसी पूर्व आर्पण कार्यवाही की आवश्यकता नहीं थी, जो **गंगूला अशोक** (पूर्वोक्त) में दिए गए विनिश्चय द्वारा अपास्त हो गया था। शीर्ष न्यायालय के माननीय न्यायधिपतिगण ने **भूराजी के मामले** (पूर्वोक्त) में यह भी अभिनिर्धारित किया कि प्रक्रियात्मक अनियमितता से दोषसिद्ध व्यक्तियों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव कारित नहीं हुआ जिसके परिणामस्वरूप न्याय की विफलता हुई हो और यह विलंबित तकनीकी अभिवाक् एक सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा विचारण को अधिकारिता रहित नहीं कर देगा। ऐसा न्यायालय किसी प्रक्रियात्मक चूक के कारण मामले का विचारण करने की अपनी सक्षमता से वंचित नहीं हो जाएगा और प्रक्रियात्मक अपेक्षा का अपालन से सक्षमता अप्रभावित रहेगी। एक सुपुर्दगी आदेश के बिना सत्र न्यायाधीश द्वारा संज्ञान लेने में असमर्थता एक विनिर्दिष्ट सत्र न्यायालय द्वारा विचारण को दूषित नहीं करती है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11. **भूराजी के मामले** में उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि के आलोक में, मेरा सुविचारित मत है कि प्रथम तर्क, यद्यपि प्रथम दृष्टया बहुत आकर्षक प्रतीत होता है, किंतु सूक्ष्म संवीक्षा करने पर मैंने इसे सारहीन या गुणागुण रहित पाया। वर्तमान मामले में, जब विशेष न्यायाधीश (विनिर्दिष्ट न्यायाधीश) ने म.प्र. उच्च न्यायालय की पूर्ण न्यायपीठ द्वारा प्रतिपठित विधिक सिद्धांत के आधार पर बिना किसी आर्पण आदेश के मामले का संज्ञान लिया, तब अपीलार्थी कोई प्रतिकूल प्रभाव या नुकसान इंगित करने में विफल रहा। प्रक्रियात्मक विफलता विनिर्दिष्ट न्यायाधीश को संज्ञान लेने के लिए अक्षम नहीं कर देगी। यदि अपीलार्थी प्रक्रियात्मक विफलता से व्यथित महसूस किया, तो उसे अपनी आपत्तियां प्रथम अवसर पर ही उठानी चाहिए थीं। उसने विचारण के पूर्व किसी भी समय पर यह अभिवाक् नहीं उठाया। यह अभिवाक् पहली बार तभी उठाया गया है जब अपील पर अंतिम सुनवाई हो रही थी। सुनवाई के समय भी, यह इंगित नहीं किया गया कि जब संज्ञान लिया गया तब अपीलार्थी को क्या प्रतिकूल प्रभाव या नुकसान कारित हुए।

12. अधिनियम की धारा 462 एवं 465 इस प्रकार हैं:

> "**462. गलत स्थान में कार्यवाही-** किसी दंड न्यायालय का कोई निष्कर्ष, दंडादेश या आदेश केवल इस आधार पर कि वह जांच, विचरण या अन्य कार्यवाही जिसके अनुक्रम में उस निष्कर्ष पर पहुंचा गया था या वह दंडादेश या आदेश पारित किया गया था, गलत सेशन खंड, जिला, उपखंड या अन्य स्थानीय क्षेत्र में हुई थी उस दशा में ही अपास्त किया जाएगा जब यह प्रतीत होता है कि ऐसी गलती के कारण वस्तुत: न्याय नहीं हो पाया है।."
>
> **465. निष्कर्ष या दण्डादेश जब त्रुटि, लोप या अनियमितता के कारण मुकरने योग्य होगा-**
>
> (1) इसमें पूर्व में दिए गए प्रावधानों के अधीन रहते हुए, सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा पारित कोई निष्कर्ष, दंडादेश या आदेश, इस संहिता के अधीन किसी जांच या अन्य कार्यवाही में या परीक्षण से पहले या उसके दौरान शिकायत, सम्मन, वारंट, उद्घोषणा, आदेश, निर्णय या अन्य कार्यवाही में किसी त्रुटि, चूक या अनियमितता के कारण अपील, पुष्टि या पुनरीक्षण न्यायालय द्वारा उलटा या परिवर्तित नहीं किया जाएगा, या अभियोजन के लिए किसी मंजूरी में किसी त्रुटि या अनियमितता के कारण तब तक नहीं बदला जाएगा, जब तक कि उस न्यायालय की राय में, उसके कारण वास्तव में न्याय में असफलता न हुई हो।
>
> (2) यह अवधारित करने में कि क्या इस संहिता के अधीन किसी कार्यवाही में किसी त्रुटि, लोप या अनियमितता के कारण, या अभियोजन के लिए किसी मंजूरी में किसी त्रुटि, अनियमितता के कारण न्याय में असफलता हुई है, न्यायालय को इस तथ्य पर ध्यान देना होगा कि क्या कार्यवाही के किसी पूर्वतर प्रक्रम में आपत्ति उठाई जा सकती थी और उठाई जानी चाहिए थी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

संहिता की उपरोक्त धाराओं के परिशीलन से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि दंड प्रक्रिया संहिता की योजना यह है कि जहां केवल क्षेत्राधिकारी के अभाव के आधार पर या प्रक्रिया की किसी अनियमितता के आधार पर अधिकारिता का कोई अंतर्निहित अभाव नहीं है, वहां एक सक्षम न्यायालय द्वारा अधिनिर्णीत आदेश या दंडादेश को तब तक अपास्त नहीं किया जा सकता जब तक कि किसी प्रतिकूल प्रभाव का

अभिवचन न किया गया हो और उसे साबित न किया गया हो जिसका अर्थ न्याय की विफलता होगी। भले ही विचारण गलत स्थान पर होता है जहां न्यायालय को मामले का विचारण करने की कोई क्षेत्राधिकारी नहीं है, फिर भी जब तक न्याय की विफलता का अभिवचन और उसे साबित नहीं किया जाता है, विचारण को अभिखंडित नहीं किया जा सकता।

इस प्रकार, अपीलार्थी की ओर से किए गए प्रथम निवेदन कि मामले का आर्पण हुए बिना विद्वान विशेष न्यायाधीश ने सीधे संज्ञान लिया, में कोई बल नहीं है और अतः उसे अस्वीकार किया जाता है।

13. परमीला बाई (अ.सा.-1) ने कथन किया कि वह जाति से गोड़ है और अपीलार्थी साहू जाति का है और दोनों एक ही गांव के निवासी हैं। उसने कथन किया कि लगभग 12 वर्ष पूर्व, वह हरीश चंद्र के घर अपनी चाची- अगासिया बाई के साथ गई थी और जब वह रात्रि लगभग 9.00 बजे वापस लौट रही थी, उस समय, कोटवारिन के घर के पास, अभियुक्त/अपीलार्थी महेंद्र कुमार उसे मिला और उसने उसके पैर का अंगूठा दबाया जो उसकी एड़ी में लगा। तब उसने उसकी साड़ी का आंचल पकड़ लिया और उसका बायां हाथ पकड़ लिया, जिस पर, उसने उसे गाली दी। उसकी चाची के देख लेने के बावजूद, अपीलार्थी ने उसका हाथ नहीं छोड़ा तब उसने उसे धक्का दिया और गाली दी और स्वयं को बचाया। उसने घटना के बारे में अपनी चाची को बताया और उसकी चाची ने भी अपीलार्थी को गाली दी, जिस पर, वह घटनास्थल से भाग गया। जब वह भाग रहा था, कोटवारिन वहाँ आ गई और घटना उसे सुनाई गई और तत्पश्चात घटना के दो दिन पश्चात् रिपोर्ट दर्ज कराई गई। शिकायत प्रदर्श पी/1 है। प्रतिपरीक्षा में बाएं हाथ या दाएं हाथ के सम्बन्ध में विरोध्भाव हैं, जिसका कोई महत्व नहीं है। ये तात्विक विरोधभाव नहीं हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

14. राजवती बाई (अ.सा.-2) ने कथन किया था कि अभियोक्त्री ने उसे घटना बताई थी। वहाँ भरत, बलदू और अगासिया बाई उपस्थित थे। उसे घटना भरत के घर पर बताई गई थी। उसने उनसे शिकायत दर्ज कराने के लिए कहा। इस साक्षी ने बताया कि परमीला बाई ने उसे बताया कि अपीलार्थी ने उसका हाथ और कपड़े पकड़ लिए थे। उसे प्रतिपरीक्षित नहीं किया गया है। उसका कथन विश्वसनीय है, जो घटना के घटित होने का समर्थन करता है।

15. अगासिया बाई (अ.सा.-3) ने कथन किया है कि परिवादिनी परमीला बाई उसकी भतीजी है। वह परमीला बाई के साक्ष्य का समर्थन करती है क्योंकि वह घटना के समय परिवादिनी के साथ उपस्थित थी और उसने घटना को भी देखा था और अपीलार्थी को गाली दी थी। उसने घटना की कहानी कोटवारिन को सुनाई।

16. बलदूराम (अ.सा.-4) भी परमीला बाई के साक्ष्य का समर्थन करता है। उसके अनुसार, आवाजें सुनने पर, वह घटना स्थल पर पहुंचा और उन्होंने उसे कहानी सुनाई कि अपीलार्थी ने उसका हाथ और कपड़े पकड़ लिए थे। उसे भी प्रतिपरीक्षित नहीं किया गया है।

17. तीरथ राम (ब.सा.-1) ने पुरानी रंजिश के बारे में कथन किया, किंतु उसने कथन किया कि वह घटना के बारे में नहीं जानता है। इसी प्रकार, परेमा बाई (ब.सा-2) ने भी, पुरानी रंजिश के बारे में कथन किया है और घटना के बारे में जानने से इंकार किया है।

18. उपरोक्त विवेचना से यह स्पष्ट है कि अभियोक्त्री गोंड जाति की थी और अपीलार्थी साहू जाति का था, और उसने साशय अभियोक्त्री के पैर का अंगूठा दबाया और उसकी लज्जा भंग करने का प्रयत्न किया। साक्षियों ने कहीं भी खंडन नहीं किया है। उनके कथनों पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है। साक्षियों ने एक-दूसरे के कथनों का समर्थन किया है। घटना दिनांक 28.3.92 को घटित हुई है और रिपोर्ट दिनांक 30.3.92 को दर्ज कराई गई थी।

19. जहां तक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने में हुए विलंब का संबंध है, सर्वोच्च न्यायालय ने **भरवाड़ा भोगिन्भाई हिर्जिभाई विरुद्ध गुजरात राज्य, एआईआर 1983 एससीसी 753** के मामले में निम्नानुसार मत व्यक्त किया था:

> "भारत के परंपरावादी गैर-अनुज्ञापक समाज में एक लड़की या महिला यह स्वीकार करने में भी अत्यधिक अनिच्छुक होगी कि ऐसी कोई घटना जो उसके सतीत्व पर लांछन लगाने वाली हो, कभी घटित हुई थी। वह समाज द्वारा बहिष्कृत किए जाने या अपने स्वयं के परिवार के सदस्यों, रिश्तेदारों, मित्रों और पड़ोसियों सहित समाज द्वारा हेय दृष्टि से देखे जाने के खतरे के प्रति सचेत होगी। उसे पूरी दुनिया का बहादुरी से सामना करना होगा। उसे अपने पति और करीबी रिश्तेदारों का प्यार और सम्मान खोने, और अपने वैवाहिक घर और खुशियों के बिखर जाने का जोखिम उठाना पड़ेगा। यदि वह अविवाहित है, तो उसे यह आशंका होगी कि किसी सम्मानजनक या स्वीकार्य परिवार से एक उपयुक्त वर के साथ संबंध स्थापित करना मुश्किल होगा। इसका परिणाम लगभग अनिवार्य रूप से और लगभग हमेशा स्वयं उसके लिए मानसिक प्रताड़ना और पीड़ा होगी। दूसरों द्वारा ताने मारे जाने का डर उसे हमेशा सताएगा। परंपरावादी समाज में परवरिश, जहां मोटे तौर पर सेक्स वर्जित है, के कारण शर्म की भावना से अभिभूत होकर वह दूसरों को घटना बताने में अत्यधिक शर्मिंदगी महसूस करेगी। स्वाभाविक प्रवृत्ति घटना को प्रचारित करने से बचने की होगी, कहीं ऐसा न हो कि परिवार का नाम और परिवार का सम्मान विवाद में आ जाए। एक अविवाहित लड़की के माता-पिता के साथ-साथ एक विवाहित महिला के पति और पति के परिवार के सदस्य भी, परिवार के नाम और सम्मान पर सामाजिक कलंक के डर से, अक्सर प्रचार से बचना चाहेंगे। उसकी बेगुनाही के बावजूद, स्वयं पीड़िता के व्यभिचारी या किसी तरह से घटना के लिए जिम्मेदार समझे जाने का डर। जांच एजेंसी द्वारा पूछताछ का सामना करने, न्यायालय का सामना करने, अपराधी के अधिवक्ता द्वारा प्रतिपरीक्षा का सामना करने की अनिच्छा, और अविश्वसनीय माने जाने का जोखिम, एक निवारक के रूप में कार्य करता है। इन और इसी तरह के कारकों को देखते हुए, पीड़ित और उनके रिश्तेदार अपराधी को दंडित कराने के लिए बहुत उत्सुक नहीं होते हैं। और जब इन कारकों के बावजूद, अपराध को प्रकाश में लाया जाता है, तो

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

इसमें एक अंतर्निहित आश्वासन होता है कि आरोप मनगढ़ंत होने के बजाय वास्तविक है।"

20. वर्तमान मामले में, घटना दिनांक 28.03.1992 को घटित हुई और उसकी शिकायत दिनांक 30.03.1992 को लगभग 9 बजे दर्ज कराई गई। समाज में प्राप्त सामाजिक प्रतिष्ठा के डर से अभियोक्त्री के परिवार के सदस्यों ने संभवतः प्रथम सूचना प्रतिवेदन विलंब से दर्ज कराई होगी और **भरवाड़ा भोगिन्भाई हिर्जिभाई** (पूर्वोक्त) (पूर्वोक्त) के मामले में उल्लिखित अन्य समान कारणों से प्रथम सूचना प्रतिवेदन विलंब से दर्ज कराने में देरी हुई होगी, जिसका, मेरी राय में, कोई अंतर नहीं पड़ता है और वर्तमान मामले पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि अभियोक्त्री के साक्ष्य की संपुष्टि प्रथम सूचना प्रतिवेदन प्रदर्श पी.1 के साथ-साथ अन्य सभी साक्षियों के परिसाक्ष्य द्वारा भी होती है।

21. इस प्रकार, उपरोक्त विवेचना से यह बिना किसी संदेह के स्पष्ट है कि अपीलार्थी अधिनियम, 1989 के अधीन दंडनीय अत्याचार कारित करने का दोषी पाया जाता है। विचारण न्यायालय ने अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य का मूल्यांकन करने के पश्चात् उचित रूप ही यह निष्कर्ष निकाला है कि अपीलार्थी अधिनियम, 1989 की धारा 3(1)(xi) के अधीन अपराध कारित करने का दोषी है और मुझे विद्वान विचारण न्यायालय के उक्त निष्कर्ष और निर्धारण में हस्तक्षेप करने का कोई कारण या औचित्य नहीं मिलता है। अतः अधिनियम, 1989 की धारा 3(1)(xi) के अधीन अपीलार्थी की दोषसिद्धि सुस्थापित है और इसमें हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया आक्षेप का दूसरा आधार भी विफल होता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

22. जहां तक विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किए गए अंतिम तर्क का संबंध है, मेरी राय में 18 माह के सश्रम कारावास का दंडादेश अत्यधिक कठोर होगा। अतः, अपीलार्थी को दिए गए 18 माह के सश्रम कारावास के मूल दंडादेश को इस आशय से उपांतरित किए जाने की आवश्यकता है कि अपीलार्थी का मूल दंडादेश, विचारण न्यायालय द्वारा दिए गए 18 माह के सश्रम कारावास से घटाकर 6 माह का सादा कारावास कर दिया जाए। जुर्माने का दंडादेश यथावत् रखा जाता है। तदनुसार यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी 6 माह का सादा कारावास भुगतेगा। इस प्रकार, मूल दंडादेश तदनुसार कम किया जाता है।

23. अपीलार्थी जमानत पर है। उसका जमानत बंधपत्र एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है। यह निदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी विशेष न्यायाधीश के समक्ष आत्मसमर्पण करेगा, जिसमें असफल रहने पर, विशेष न्यायाधीश इस न्यायालय द्वारा अधिनिर्णीत दंडादेश का निष्पादन करने के लिए उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु समुचित कदम उठाएगा। इस प्रकार, अपील, जैसा कि ऊपर उपदर्शित है उस विस्तार तक, भागतः स्वीकार की जाती है।

हस्ता/-
आर .एल .झांवर
न्यायधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

-Translated By Nasreen Khan